



समझौता ज्ञापन (MOU)
के मध्य
वसंत कन्या महाविद्यालय, कमच्छा, वाराणसी के हिन्दी विभागान्तर्गत
पंडित हरिराम द्विवेदी भोजपुरी भाषा एवं साहित्य-शोध अध्ययन पीठ
तथा
काशी कला कस्तूरी
(काशी कला साहित्य संस्कृति एवं समाज सेवा मंच)

यह समझौता ज्ञापन (MOU) दिनांक **22-08-2026** को वसंत कन्या महाविद्यालय, कमच्छा, वाराणसी के हिन्दी विभागान्तर्गत पंडित हरिराम द्विवेदी भोजपुरी भाषा एवं साहित्य-शोध अध्ययन पीठ तथा काशी कला कस्तूरी (काशी कला साहित्य संस्कृति एवं समाज सेवा मंच) के मध्य संपादित किया गया है।

दोनों पक्ष कला, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, विरासत संरक्षण एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अपने साझा हितों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत सहयोग करने के लिए सहमत हैं।

1. समझौता ज्ञापन का उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य अध्ययन पीठ एवं काशी कला कस्तूरी के बीच सहयोग का एक ऐसा ढाँचा स्थापित करना है, जिसके माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रों के संवर्धन एवं प्रसार को प्रोत्साहित किया जा सके

- क्षेत्रीय कलाओं एवं पारंपरिक सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण एवं संवर्धन
- शास्त्रीय परंपराओं एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण
- साहित्य एवं साहित्यिक गतिविधियों का प्रोत्साहन
- शैक्षिक एवं युवा-केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन
- सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना
- सामाजिक कल्याण एवं समुदाय-केंद्रित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना
- भोजपुरी भाषा एवं साहित्य के शोध के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना

2. सहयोग के प्रस्तावित क्षेत्र

पंडित हरिराम द्विवेदी भोजपुरी भाषा एवं साहित्य-शोध अध्ययन पीठ, हिंदी विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, कमच्छा, वाराणसी एवं काशी कला कस्तूरी निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से सहयोग करने का प्रस्ताव रखते हैं—

- (क) क्षेत्रीय कलाओं का संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार
- (ख) शैक्षिक एवं युवा कार्यक्रम
- (ग) छात्र प्रशिक्षण, इंटर्नशिप एवं कार्यशालाएँ
- (घ) शैक्षणिक संसाधनों एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान
- (ङ) कलाकारों एवं विशेषज्ञों के साथ संवाद
- (च) सांस्कृतिक एवं विरासत संरक्षण
- (छ) सामाजिक कल्याण गतिविधियाँ

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यक्रमों एवं गतिविधियों पर दोनों पक्ष समय-समय पर आपसी विचार-विमर्श एवं सहमति से निर्णय लेंगे।

3. प्रभावी तिथि, अवधि एवं संशोधन

(क) प्रभावी तिथि एवं समाप्ति

यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा और तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि किसी एक पक्ष द्वारा इसे समाप्त न कर दिया जाए।

कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को तीस (30) दिन पूर्व लिखित सूचना देकर इस समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है। ऐसी समाप्ति से पूर्व आपसी सहमति से निर्धारित किसी कार्यक्रम या गतिविधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि दोनों पक्ष अन्यथा निर्णय न लें।

(ख) संशोधन

इस समझौता ज्ञापन के किसी भी प्रावधान में संशोधन, परिवर्तन या छूट केवल दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों की आपसी लिखित सहमति से ही की जा सकेगी।

4. दोनों पक्षों के बीच संबंध

इस समझौता ज्ञापन में निहित कोई भी प्रावधान दोनों पक्षों के बीच साझेदारी, संयुक्त उद्यम, अभिकरण, रोजगार संबंध अथवा कानूनी प्रतिनिधित्व स्थापित करने वाला नहीं माना जाएगा।

5. दो प्रतियों में हस्ताक्षर

दोनों पक्ष अपने-अपने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस समझौता ज्ञापन की शर्तों को समझने एवं स्वीकार करने की पुष्टि करते हुए, ऊपर उल्लिखित दिन एवं वर्ष को इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं।

डॉ० शबनम

अध्यक्ष, काशी कला कस्तूरी

प्रो० आशा यादव

विभागाध्यक्षा, हिन्दी विभाग

प्रो० रचना श्रीवास्तव

प्राचार्या, वसन्त कन्या महाविद्यालय